राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–एफ25(87) पार्ट–I/परि/कम्प्यू/2017/5102 जयपुर दिनांक 5/3/2021

ई–निविदा सूचना संख्या

परिवहन विभाग मुख्यालय के लिए कम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु बोनाफाईड निर्माता/ प्राधिकृत डीलर/विक्रेता राज्य एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम/निगम/ कंपनियों से ई–निविदाएं आंमत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	सामग्री का विवरण एवं मात्रा	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	RISL का प्रकिया शुल्क	निविदा प्रपत्र online जारी करने की दिनांक व समय	निविदा online जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय
1	कम्प्यूटर –51	24,07,200/–	Bid Securig Declaration Form **Annexure-L**	500/–	1000/–	05.03.2020	15.03.2021 12.00 PM	15.03.2021 12.30PM

विस्तृत निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्ते http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय बेवसाईट http://transport.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

क्रमांकः–एफ25(87) पार्ट–I/परि/कम्प्यू/2017/5103 To 5110 जयपुर दिनांक 5/3/2021

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) परिवहन विभाग, जयपुर, राज. ।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, जयपुर, राज।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. भण्डार शाखा द्वारा http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने बाबत्।
6. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग, जयपुर, राज.।
7. नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

ई–निविदा प्रपत्र

1. कार्य / सामग्री का विवरण जिस हेतु ई–निविदा प्रस्तुत की गई:–कम्प्यूटर

2. फर्म का नाम व स्थाई पताः–..
   ....
   दूरभाष संख्या..ईमेल पता...

3. फर्म / प्राधिकृत डीलर / विक्रेता एजेन्ट / अन्य का पंजीयन क्रमांक ....

4. ई–निविदा शुल्क की राशि रू 500.00 एवं प्रोसेसिंग फीस (RISL) राशि रू 1000.00 वित्त विभाग के परिपत्र प.6(5) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2018 / दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से एक ही चालान से जमा करवाया जाना आवश्यक होगा तथा चालान की प्रति ई–प्रोक्योरमेंट दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।
5. बोली प्रतिभूति राशि रू. .... जमा कराने के सम्बंध में वित्त विभाग के पत्रिका दिनांक 23.12.2020 द्वारा 50.00 रू. के स्टाम पर निर्धारित प्रपत्र में Bid-Securing Declaration प्रस्तुत करना है (Annexure-L)

6. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन का विवरणः–..

7. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नंबर ....

8. मैने / हमने निविदा में अंकित सामग्री का तकनीकी स्पेशिफिकेशन पढ़ / समझ लिया है तथा उसी के अनुरुप दरें प्रस्तुत कर सामग्री आपूर्ति की जावेगी।

9. इस ई–निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, परिवहन विभाग के पास सुरक्षित है।

मैने / हमने कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... में वर्णित, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने / हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मै / हम मानने के लिये बाध्य हूँ / है तथा मेरी / हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं है।

दिनांक..............................   निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

वित्तीय बोली

कम्प्यूटर की आपूर्ति

1— निविदा दाता का नाम : ....
पूरा पता : ....
....
2— सम्बोधित : कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान।
3— संदर्भः ई—निविदा सूचना क्रमांक ....
4— सामग्री का नाम :— कम्प्यूटर आपूर्ति

S. No.	Item description	Unit	Quantity	Unit rate (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties exclusing GST)	GST on unit rate (in %) if applicable	Unit rate (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties including GST)	Total amount (In INR) (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties and GST)
1	2	3	4	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8= 7*4**
1.	Computer as per technical specification of Annexure-E	Nos	51				

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

e-tender no. **Technical Eligibility Criteria**

Sr No.	Basic requirement	Documents required	Enclosed (Yes/No)
1	Legal entity	1. Copy of Registration Certificate of incorporation 2. Annexure- M	
2	Net worth (Positively in last financial year)	CA certificate with CA's Registration Number/ Seal indicating net worth of the firm in last financial year	
3	Tax registration and clearance	Copies of relevant registration certificates: - 1. GSTIN 2. PAN	
4	Blacklisting	A Self Certified letter as given in the Annexure - G	
5	Experience	The bidder must have successfully completed projects of Govt/PSU/Bank/Private company for the supply of IT Equipment of Rs. 10.00 lakh or more in a year (Enclosed supply order/ experience certificate)	
6	Financial soundness/ stability (Annual Turnover Rs. 30 lakhs for last 3 financial years)	CA certificate with CA's Registration Number/ Seal indicating Turnover of the firm in last financial year	
7	Compliance with the code of integrity and no conflict of interest	Annexure-A	
8	Declaration by bidder regarding qualifications	Annexure-B	
9	Grievance Redressal during Procurement Process	Annexure-C	
10	Additional condition of contract	Annexure-D	
11	Computer Specification	Annexure-E	
12	Authorisation Certificate	Annexure-F	
13	Certificate of Conformity	Annexure - I	
14	Financial Bid undertaking	Annexure -H	
15	Fees	ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से	
		Bid Security Declaration Form **Annexure-L**	

नोटः– तकनीकी निविदा के सभी कॉलम की पूर्ति करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल बोली दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैने/हमने कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... में वर्णित, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मै/हम मानने के लिये बाध्य हूॅ/है।

दिनांक.............................. निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

निविदा की शर्ते :–निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग ऑनलाईन http://eproc.rajasthan.gov.in प्रस्तुत करनी होगी। अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
2. धरोहर राशि के लिए घोषणा पत्र Annexure L संलग्न करना है तथा ई–निविदा शुल्क की राशि रू 500.00 एवं प्रोसेसिंग फीस (RISL) राशि रू 1000.00 वित्त विभाग के परिपत्र प.6(5) वित्त/सा.वि.ले.नि./2018/दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से एक ही चालान से जमा करवाया जाना आवश्यक होगा तथा चालान की प्रति ई–प्रोक्योरमेंट दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।
3. निविदादाता का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
4. निविदा प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
5. दर शब्दों एवं अंकों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर (फर्म की मुहर सहित) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अकित राशि मान्य होगी।
6. विधि मान्यता–बिड वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक से 90 दिन तक की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
7. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जॉच करली हैं। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
8. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
9. विशेष विवरण :–
   1– प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित तकनीकी स्पेसीफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
   2– क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, का निर्णय निविदादाताओ के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
   3– वारंटी एवं गारंटी –निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया हैं, बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गयी शर्ते के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गयी कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
10. निविदादाता को Annexure-H के अनुसार निर्धारित तकनीकी योग्यता पूर्ण करना आवश्यक है तथा निविदा दाता द्वारा आवश्यक समस्त दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
11. तकनीकी मूल्यांकन :– उपापन समिति द्वारा मूल्यांकन करने पर Technical criteria (Annexure- H के अनुसार) पूर्ण करने वाली तथा Annexure - E के specifications के अनुरूप सामान की सप्लाई करने मे सक्षम निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। तकनीकी मापदंड पूर्ण नहीं करने वाली बिड रद्द कर दी जाएगी।

12. <u>Financial Evaluation :-</u>

1. To be submitted by the bidder only in BoQ format (XLS) available at eProc portal
2.

A	Selection Criteria for deciding L1 Bidder and lowest unit rate for each computer	The lowest quoting bidder (LQ1) will be determined as mentioned below: 1. First Annexure-1(BoQ) will be opened for all the technically qualified bidders on a specified date. 2. LQ1, LQ2, LQ3……. bidders will be decided on the basis of lowest rate of each unit of computer as per Annexure-1.
B	Bidder Selection	Bidder will be selected who quotes lowest rate of each unit of computer.

13. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।
14. **परीक्षण प्रभार** : परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगें।
15. **रद्द करना (Rejection)** :–
    1– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
    2– तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओ को बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
16. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
17. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि ,क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बिडदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
18. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
19. सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह आपूर्ति आदेश की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः–
    1– मात्रा की सीमा–आदेश फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गई शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बिड सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बिडदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बिड द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदादत्त वस्तुओं की खरीद नही करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
20. **बोली प्रतिभूति** : निविदा के साथ, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.2 (1) वित्त G & T - SPFC/2017 दिनांक 18/12/2020 के अनुसार 50 रू. के स्टाम्प पर Bid-Securing Declaration (Annexure-**L**) प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. प्रतिभूति राशि का समपहरणः बिड प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में निविदादाता द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा।
    1– जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता या उसमे उपान्तरण (Modification) करता हैं।
    2– जब निविदादाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

3– जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
4– जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो

22. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance security deposit)

1. सफल निविदादाता को 3 दिवस की अवधि में कार्यादेश की राशि की $2^1/_2$ प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर करार पत्र निष्पादित करना होगा।
2. निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. निविदा कार्य निष्पादन राशि आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर के पक्ष में बैक गारंटी, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैं।
4. निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उघोग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। अन्य के लिए यह $2^1/_2$ प्रतिशत होगी।
5. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

23. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण' बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा।

1. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढग से करने में असफल रहा हो।
3. जब सप्लाई किया गया सामान निर्धारित स्पेसिफिकेशन तथा गुणवत्ता के अनुरूप न हो।
4. निविदा प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

24. **भुगतान** :

1– सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
2– विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर निर्णयानुसार भुगतान कर दिया जाएगा।
3– उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगे।

25. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ठ समय को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

26. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बिडदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं :–

1– विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
2– एक चौथाई अधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
3– आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
4– विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
5– विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा
6– परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
7– यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
8– यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

27. वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिकवीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

28. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।

29. क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नही है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओ कि लिए बिडदाता ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के

लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।

30. उपापन समिति को सामान की मात्रा को कम या ज्यादा करने तथा निविदा प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार तथा किसी बोली या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

31. कम्प्यूटर, की आपूर्ति Annexure-E मे दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही सप्लाई की जावेगी।

32. सामग्री की अदायगी परिवहन विभाग मुख्यालय, सहकार मार्ग, 22 गौदाम, जयपुर में दी जायेगी। जिसके लिए अलग से माल भाडा और installation का खर्च देय नहीं होगा।

33. सामान की सप्लाई कार्यादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।

34. निविदा में संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय बेवसाईट http://transport.rajasthan.gov.in पर ही निविदा जारी करने के उपरान्त किये जायेगे। निविदादाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

35. निविदा दाता द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं अनुभव संबंधी योग्यता का पूरा होना आवश्यक है अन्यथा निविदा अमान्य होगी।

36. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।

37. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

38. समस्त विधिक कार्यवाही जयपुर महानगर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

39. ई–टेण्डरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश :–

(अ) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निवदा में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट, 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सीसीए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट है, उन्हे नया डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिन निविदादाताओ के प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे।

(स) इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(द) किसी निविदादाता द्वारा यदि इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगी।

(य) निविदा प्रपत्र के सभी प्रपत्रों को सम्पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन अपलोड करें।

(र) ऑनलाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशो का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

40. निविदादाता के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का टर्नओवर कम से कम 30 लाख रूपये आपूर्ति किए जाने वाले कार्य में होना अनिवार्य है। जिसके लिए निविदादाता को सी.ए. का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।

41. अंतिम रूप से **LOA** जारी होने पर सफल बोली दाता द्वारा 3 दिवस में अनुबंध पत्र भर कर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

42. मैने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure 'A':

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

i. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
ii. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
iii. Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
iv. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
v. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
vi. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
vii. Disclose conflict of interest, if any; and
viii. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.. For procurement of

.... in response to their Notice Inviting Bids No. ....

Dated.......... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name

Designation:

Address:

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner, Transport Department, Rajasthan, Jaipur.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Additional Chief Secretary, Transport Department, Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker’s cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

i) Hear all the parties to appeal present before him; and

ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the mailer, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

<u>Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement</u> Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s) (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal :
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :
   ....
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to *(1)* and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity’s Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

4. Scope of Supply

The Bidder(s) shall not quote and supply any hardware/software that is likely to be declared as End of sale for twelve months and End of service/support for twelve months from the date of bid submission. If any of the hardware/software is found to be declared as End of sale/service/ support in the period mentioned above, then the bidder(s) shall replace all such hardware. software with the latest ones having equivalent or higher specifications without any financial obligation to the purchaser

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग़

Computer specifications

Computer		
s.no.	Parameter	Minimum Specification
1.	Processor	intel core i5 10th Generation or higher ,6 core or higher ,2.80 GHz or Higher
2.	Memory	8GB DDR4 SDRAM expandable up to 32 GB or Higher
3.	Storage	1TB Serial ATA HDD or higher
4.	Monitor	49.5 cm (19.5 inch) or higher TFT LED Digital colour Monitor, TCO 08 Certified monitor
5.	Keyboard	OEM USB keyboard
6.	Mouse	OEM USB Mouse
7.	I / O Ports	Min 6 USB Port (min 2 USB 3.0) ,Headphone (front), Microphone (front), VGA/DP port
8.	Network Feature	10/100/1000 on board integrated network port
9.	Operating System	Genuine Win 10 Professional
10.	Antivirus	Antivirus (Latest Version) of of McAfee/Norton/Symantec/Kaspersky/ heal/Sophos with 3years subscription should be installed after unpacking of the s
11.	Warranty	3 Years Comprehensive on-site OEM warranty from the date of installation
12.	Accessories	All necessary cables (power & data cable) to be included
13.	Certification	EPEAT registered ,Energy Star compliant ,RoHS-compliant, Windows Certified.

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता

निविदादाताओ द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों स्टोर्स, उपकरणों के लिये बिड दी हैं उनका/उनके/मै/हम बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोलसेलिंग/विपणन/एजेन्ट हूॅं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये ंतो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जावेगा तथा बिड को जिस सीमा तक उसको स्वीकार किया गया हैं उसको रद्द कर दिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

फर्म द्वारा शपथ पत्र

मै/हम (फर्म का प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम) .... घोषणा करता/करते हैं कि हमारी फर्म .... को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय पूर्ण नाम व पता

(सील सहित)

Annexure 'I'

Certificate of Conformity/No Deviation (to be filled by the bidder)

(Tendering Authority),

NIT: -------------------------------- Dated----------------------

Certificate

This is to certify that, the specifications of Hardware & Software which I/We have mentioned in the Technical bid, and which I/We shall supply if I/We am/are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Also, I/We have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate, we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without any deviations.

I/We also certify that the price I/We have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the project, to meet the desired standards set out in the Tender/bidding document.

Thanking You,

Name of the Bidder: -

Authorised Signatory: -

Seal of the organization: -

Date:

Place:

Annexure 'M'

Undertaking of Authenticity of all items and Allied equipment

To be filled by the bidder (On Rs. 100/- Non judicial stamp paper)

To,

(Tendering Authority),

Reference:---Dated

This has reference to the items being supplied/quoted to you vide our bid ref. no.

--- dated ---------------------

We hereby undertake that all the components/ parts/ assembly/ software used in the equipment shall be genuine, original and new components/ parts/ assembly/ software from respective OEMs of the products and that no refurbished/ duplicate/ second hand components/ parts/ assembly/ software are being used or shall be used. In respect of licenced operating system, we undertake that the same shall be supplied along with the authorized source for use in India.

In case, we are found not complying with above at the time of delivery or during installation, for the equipment already billed, we agree to take back the equipment already supplied at our cost and return any amount paid to us by you in this regard and that you will have the right to forfeit our EMD/SD/PSD for this bid or debar/ black list us or take suitable action against us.

Authorised Signatory

Name :

Designation :

Annexure 'K'

Financial bid undertaking (on bidders letterhead in technical bid)

Commissioner,
Transport Department,
Jaipur
Reference:---Dated

Dear Sir,

We, the undersigned bidder, having read & examined in detail, the bidding document, the receipt of which is hereby duly acknowledged, I/we, the undersigned, offer to supply/ work as mentioned in the scope of the work, Bill of Material, Technical specifications, service level standards & in conformity with the said bidding document for the same.
I/We undertake that the prices are in conformity with the specifications prescribed. The quote/ price is inclusive of all cost likely to be incurred for executing this work. The prices are quoted as required in the price-bid given in Annexure-5.
I/We undertake, if our bid is accepted, to deliver the goods in accordance with the delivery schedule specified in the schedule of Requirements.
I/We hereby declare that in case the contract is awarded to us, we shall submit the contract performance guarantee as prescribed in the bidding document.
I/We agree to abide by this bid for a period of ----------- after the last date fixed for bid submission and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiry of that period.
Until a formal contract is prepared and executed, this bid, together with your written acceptance thereof and your notification of award shall constitute a binding contract to the best of our knowledge and belief.
We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive.
We agree to all the terms & condition as mentioned in the bidding document and submit that we have not submitted any deviations in this regard.

Date:
Authorized Signatory
Name:
Designation:

Annexure-L

Form of Bid-Securing Declaration

Date:
Bid No:
Alternative No:

To:
…………………………………………….
…………………………………………….
We, the undersigne, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely: -

a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
c) when we fail to commencethe supply of the goods orservice or execute work as per supply/work order within the specified period;
d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Oovemment shall debar us fi om participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Secüring Declaration shall expire if:-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :…………………………………………………….

Name:……………………………………………………

In the capacity of ……………………………….

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal…………………………………………………

[Note : In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांकः प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक : 27.04.2020

परिपत्र

विषयः–ई–ग्रास पर ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया हेतु एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की प्रक्रिया।

लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत ई–ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी राशि एवं RISL फीस जमा कराने एवं RISL फीस को कोषालय सचिवालय में संधारित पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये जाने की किया विधि निम्नानुसार है :–

1. बिडर द्वारा ई–ग्रास पर प्रोफाइल बनाने के बाद ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाइन जमा करवाया जायेगा। इस राशि में से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस रिफण्ड योग्य नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108 एवं 109 में जमा राशि नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा रिफण्ड किये जाने हेतु सिस्टम में व्यवस्था की गयी है। RISL फीस (i) सिविल विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[01] (सिविल विभाग), (ii) निर्माण विभागों की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (iii) वन विभाग की निविदाओं हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-[03] (वन विभाग) के अन्तर्गत जमा की जायेगी। बोली दस्तावेज मूल्य हेतु निर्धारित राजस्व मद में बिडर द्वारा राशि जमा कराने हेतु ई–ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध रहेगा।

2. बिड सिक्योरिटी जमा कराने के लिए सभी विभागों हेतु बजट मद 8443–103 जबकि निर्माण कार्यों हेतु बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443–108 (निर्माण विभागों) एवं 8443–109 (वन विभाग) में जमा कराने की दशा में डिविजन कोड का चयन ई–ग्रास पर किया जाना अनिवार्य होगा।

GFRRules-new

3. इस प्रक्रिया से जमा राशि का लेखांकन ई–कोषालय के स्तर पर किया जायेगा। ई–ग्रास पर उपलब्ध विभागवार/कार्यालयवार रिपोर्ट्स में जमा राशि से संबंधित रिपोर्ट्स प्रदर्शित की जायेगी।

4. ई–कोषालय में बिन्दु संख्या 1 में वर्णित बजट मद 8658-00-102-(16)-[01], [02], [03] के अन्तर्गत जमा RISL फीस को माह में दो बार बजट मद 8782–101 (Inter Treasury Transfer) के माध्यम से कोषालय (सचिवालय) जयपुर में RISL के पी.डी. खाते में जमा किये जाने हेतु समायोजन बिल के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा। जिसे कोषालय (सचिवालय) जयपुर द्वारा उसी माह में मद 8782–101 को माईनस क्रेडिट करते हुए RISL के पी.डी. खाते में अलग–अलग समायोजन बिलों के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा। यह सूचना ई–ग्रास से वॉम पर Seamless Data Sharing की व्यवस्था से हस्तांतरित की जायेगी। सिस्टम पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के माध्यम से संबंधित निर्माण खण्ड ई–ग्रास पर जमा राशि व रिफण्ड राशि का स्टेटस भी देख सकते है।

5. निर्माण कार्यों से संबंधित बिड हेतु उक्त चालान से संबंधित राशि निर्माण लेखों में फार्म 80 में प्रदर्शित होने पर कोषालयों द्वारा चालान की प्रति प्रत्येक मद में जमा राशि के लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

6. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बिडर को प्रारम्भ में ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बिड भरने के साथ–साथ ई–ग्रास पर एक चालान के माध्यम से ई–भुगतान का चयन करते हुए अपेक्षित राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को एन.आई.सी. द्वारा ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से ई–ग्रास का इन्टीग्रेशन करते हुए अविलम्ब लिंक करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। व्यवस्था स्थापित होने तक बिडर को ई–ग्रास पर भुगतान होने के उपरान्त चालान CIN नम्बर के साथ जनरेट कर ई–प्रोक साईट पर स्कैन कर अपलोड करना होगा। ई–ग्रास एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट का लिंक स्थापित होने के उपरान्त अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा ई–ग्रास सिस्टम ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से बिडर का नाम लेने के स्थान पर सिस्टम जनरेटेड कोड फेच करेगा तथा बिड फाइनल होने के बाद बिडर का नाम पूर्व के कोड से फ्लेग करते हुए किया जाना सुनिश्चित करेगा जिससे बिडर को होने वाले रिफण्ड भुगतान में असुविधा न हो। उपापन संस्था द्वारा ई–ग्रास पर कार्यालयवार उपलब्ध रिपोर्टस एवं ई–कोषालय के TY-33 से जमाओं का मिलान भी सुनिश्चित किया जावेगा।

7. ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के ई–ग्रास पोर्टल से इन्टीग्रेशन के उपरान्त ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्माण कार्यो से संबंधित बिड भरने हेतु बजट मद 8443–108,109 में बनाये गये चालान की राशि निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रविष्टि एक कोड के साथ एन.आई.सी. वॉम को उपलब्ध करायी जावेगी। बिड खुलने के बाद उक्त प्रविष्टि हेतु संवेदक का नाम एवं अन्य विवरण एन. आई. सी. (वॉम) को उपलब्ध कराया जायेगा।

GPRRules-new

एनआईसी (वॉम) द्वारा तद्नुसार ही प्रविष्टि को निर्माण लेखों में सम्मिलित किया जावेगा, जिसके पश्चात ही बिड सिक्योरिटी राशि रिफण्ड किये जाने हेतु उपलब्ध होगी। इस हेतु ई–ग्रास व ई–प्रोक पोर्टल का इन्टीग्रेशन व लिंक किया जायेगा। ई–प्रोक पोर्टल से भुगतान हेतु संवेदक को ई–ग्रास पर आने का लिंक तथा ई–ग्रास पर भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् ई–प्रोक पोर्टल पर जाने का लिंक भी दिया जायेगा।

8. ई–प्रोक्योरमेन्ट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ई–ग्रास के माध्यम से जनरेट किये जाने पर संबद्ध एजेन्सी बैंक को तीनों बजट मदों की कुल राशि एवं जीआरएन नम्बर के साथ प्रेषित किया जायेगा तथा बैंक द्वारा जमा राशि के स्क्रॉल दिये जाने पर सिस्टम पर ई–कोषालय को पृथक–पृथक उक्त तीनों मदो में जमा राशि के अनुसार चालान नम्बर जनरेट करने, लेखा सूचियां तैयार करने एवं लेखांकन करने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

9. ई–कोषालय के स्तर पर उक्त जमा राशि का पूर्ण लेखांकन तथा मिलान दैनिक आधार पर अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. ई–प्रोक पोर्टल के अतिरिक्त की जाने वाली बिड हेतु (जिनमें RISL Fees जमा नहीं होती) भी बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443–103, 108, 109 व बोली दस्तावेज मूल्य राशि निर्धारित राजस्व बजट मद में जमा कराने हेतु सिंगल चालान से उक्त माध्यम से बिडर/कार्यालय द्वारा जमा करवायी जा सकेगी। इस व्यवस्था में मेन्यूअल एवं ई–मोड उपलब्ध रहेंगे।

11. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

अतः उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

27/4/2020
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर को सिस्टम पर एन.आई.सी. के माध्यम से पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
8. समस्त कोषाधिकारी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को सिस्टम में उक्त प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु।
10. निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
11. रक्षित पत्रावली।

27/4/2020
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR 5/2020)

GFRRules-new